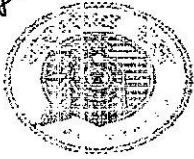


3 pages



119

1/150/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-2-25

कमांक- 150/2018

आरबीई सं0-123/2018

स्पष्टीकरण/शुद्धि पत्र सं. 97

सं0 ई/227/2/भाग-15/चार

दिनांक -10-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-श्रेणी ए एवं बी अंतराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को अधिकारी संवर्ग में बिना बारी के पदोन्नति (ओटीपी) देना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी दिनांक 17.08.2018 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0 क0 पण्डित)

सकाधि/मुख्या0-11

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूडुरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूडुरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुख्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

11.09.18

2/150/2018

आरबीई सं. 123/2018

स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 97

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAYS BOARD)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2018

महाप्रबंधक(कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेल एवं

चित्तोजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारो डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्टरी, रेल पड़िया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला,

महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ.

विषय: श्रेणी ए एवं बी अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को अधिकारी संवर्ग में बिना बारी के पदोन्नति (ओटीपी) देना।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. (i) 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4/(1)/1(पॉलिसी) (आरबीई सं. 189/2010)

(ii) दिनांक 23.05.2013 के पत्र सं. 2012/ई(स्पोर्ट्स)/4/(1)/3/ओटीपी/डीओपीटी (आरबीई सं. 50/2013) और उस संबंध में जारी स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

कृपया ऊपर उल्लिखित बोर्ड के नीतिगत पत्रों के पैरा 9.2.1.1, 9.2.2.1 और 9.2.ए का अवलोकन करें जो श्रेणी-ए और बी की अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को बिना बारी पदोन्नति देने के संबंध में है।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने उपर्युक्त के संबंध में आंशिक संशोधन/आवर्धन करते हुए यह विनिर्देशित किया है कि:

i) उस खिलाड़ी को अधिकारी ब्रेड में बिना बारी के पदोन्नति दी जाए, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

क) जिन्होंने ओलम्पिक में कम-से-कम दो अवसरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और राष्ट्रमंडल खेलों/एशियाई खेलों में कम-से-कम एक पदक जीता हो।

या

ख) जिन्होंने ओलम्पिक में कम-से-कम दो अवसरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और जिन्हें अर्जुन पुरस्कार/राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया हो।

या

ग) जिन्हें खेलकूद में उपलब्धि के आधार पर पद्म पुरस्कार दिया गया हो और वह नियमित कर्मचारी हो।

ii) उस कोच को अधिकारी ब्रेड में बिना बारी के पदोन्नति दी जाए, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

3
150/20/18

क) जिन्हें खेलकूद में उपलब्धि के आधार पर पद्म पुरस्कार दिया गया हो और वह नियमित कर्मचारी हो।

या

ख) यदि उसने किसी ऐसे खिलाड़ी अथवा किसी टीम को प्रशिक्षण दिया हो, जो कम-से-कम एक ओलम्पिक सहित श्रेणी ए और बी चैंपियनशिप के कम-से-कम 3 अवसरों पर पदक जीता हो और उसके बाद वह ग्रेड पे 4200/- (या सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के समकक्ष) में हो।

नोट: किसी एक वर्ष में एक प्रतियोगिता में जीते गए पदक को एक अवसर के रूप में गिना जाएगा।

हालांकि विश्व चैंपियनशिप/विश्व कप का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है; परन्तु कुछ खेलों में वार्षिक विश्व चैंपियनशिप होती हैं और कुछ अन्य खेलों में दो वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। (ऐसे खेलों के लिए, अन्य खेलों में विश्व चैंपियनशिप के साथ समानता रखते हुए, 4 वर्षों में केवल 01 पदक जीतने वाले खिलाड़ी पर विचार किया जाएगा)।

क्रोशों को बिना बारी के पदोन्नति देने के लिए केवल एक पदोन्नति के लिए एक उपलब्धि पर विचार किया जाएगा और बिना बारी की पदोन्नति कम-से-कम चार वर्षों के अंतराल पर दी जाएगी।

• खेल प्रदर्शन में अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों को निम्नलिखित रेल प्रशासन को आवेदन करना चाहिए। रेलवे/उत्पादन इकाई इस मानदंड पर शीघ्र विचार करेगी और ग्रुप 'बी' पदोन्नति के लिए रेलवे में सक्षम प्राधिकारी (महाप्रबंधक) का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

ये अनुदेश उन सभी सेवारत रेल खिलाड़ियों/कोशों के लिए लागू होंगे, जो मौजूदा मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(भास्कर रॉय चौधरी)

उप निदेशक/स्था. (खेलकूद)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिटी

नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2018

प्रतिलिपि:

1. मानद महासचिव, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के खेलकूद संघ
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली.
3. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, 7-जीएफ, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली.

नवीन कुमार
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड